


भारत सरकार
खान मंत्रालय
शास्त्री भवन : नई दिल्ली

विषय: सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 के अंतर्गत प्राप्त आवेदन ।

श्री. पंकज अग्रवाल, भीलवाडा से प्राप्त आवेदन दिनांक 10.08.2013 को सूचना प्रदान करने हेतु अग्रेषित किया जा रहा है। सूचना निर्धारित समय सीमा (30 दिन) में आवेदक को भिजवा दी जाए।

2. सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 6(3) के अनुसार यदि मांगी गई सूचना का विषय अन्य सरकारी कार्यालय से जुड़ा/सम्बन्ध है तो वह अधिकारी, जिसको आवेदन भेजा गया है, ऐसे आवेदन को संबंधित सरकारी अधिकारी/कार्यालय को, आवेदन की प्राप्ति की तारीख से यथाशीघ्र लेकिन 5 दिनों के भीतर स्थानांतरित कर सकेगा तथा इस बारे में आवेदक को भी सूचित करेगा। इसके अलावा, सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 5(4) और 5(5) के तहत अपने कर्तव्य के निर्वाहन के लिए केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी यदि किसी अधिकारी से कोई सहायता मांगे तो उसे पूरी सहायता प्रदान करनी होगी और जिस अधिकारी से सूचना मांगी गई है उसे इस अधिनियम की धाराओं के उल्लंघन की स्थिति में केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी माना जायेगा।

3. अनुरोध है कि आप सूचना का अधिकार अधिनियम (शुल्क और लागत का विनियमन) नियमावली, 2005 के अनुसार अपेक्षित शुल्क लेने के बाद, लोक सूचना प्रकोष्ठ (PI Cell) को सूचित करते हुए सीधे ही प्रार्थी को सूचना प्रेषित कर दें। यदि पूरी सूचना इसका कुछ भाग रोका जाना अपेक्षित है तो, सूचना को रोके जाने के कारणों को व्याख्यात्मक क्रम में (स्पीकिंग अपीलेशन आर्डर) स्पष्ट रूप से उल्लिखित किया जाए। कृपया आप प्रार्थी को यह भी बता दें कि यदि वह इस आदेश से संतुष्ट नहीं है तो वह इस आदेश/पत्र की प्राप्ति से 30 दिनों के भीतर अपीलीय अधिकारी (अपीलीय अधिकारी का नाम/पता भी दिया जाए) के समक्ष अपील कर सकता/सकती है।



(राजेश शाह/Rajesh Shah)
ए.सी.पी.आई.ओ./ACPIO


संलग्न: यथोपरि


श्री. अमित चौबे, अनुभाग अधिकारी/केंद्रीय लोक सूचना अधिकारी, खान मंत्रालय
पी.आई. सैल/PI Cell U.O. No. MINES/R/2013/00273 दिनांक/Dated 13.08.2013

प्रतिलिपी सूचनार्थ -

श्री. पंकज अग्रवाल, प्रताप टॉकीज के सामने, भोपालगंज, भीलवाडा - 311001 (राजस्थान)


13/8/2013


(राजेश शाह/Rajesh Shah)
ए.सी.पी.आई.ओ./ACPIO




सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत

सूचना प्राप्त करने हेतु आवेदन पत्र

1. सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 के अंतर्गत नागरिक किसी भी विभागों के कार्यों के दस्तावेजों और रिकार्डों, सामग्री के प्रमाणित नमूने लेने के लिए प्रमाणित प्रतियों प्रिन्ट आउट, वीडियो रिकार्डिंग, फलोली, डिस्कट, टेप्स का अधिकार रखता है। राज्य और केन्द्र सरकार का सुरक्षा एवं खुफिया एजेन्सी को छोड़कर।
2. प्रार्थना पत्र शुल्क - 10 रुपये एवं प्रतिलिपी शुल्क 2 रूपयें प्रति पेज।
3. समय 30 दिन में सूचना उपलब्ध होगी अन्यथा 250 रूपयें प्रतिदिन जुर्माना देय होगा या सजा भी हो सकती है।

श्रीमान् सार्वजनिक सूचना अधिकार : शासन सचिव महोदय
विभाग का नाम : खान मंत्रालय, भारत सरकार,
जिला / तहसील नई दिल्ली



- 1 आवेदक का नाम पंकज अग्रवाल
- 2 पिता का नाम एम.एल. अग्रवाल
- 3 पता प्रताप टॉकीज के सामने, भीलवाड़ा

4 सूचना जो चाहिये
जिंदल शॉ लि. के खनन पट्टा सं. M.L. 631/05 निकट ग्राम डेड़वास तहसील एवं जिला भीलवाड़ा (राजस्थान) (खनि अभियन्ता, भीलवाड़ा) को आपने अपने पत्र क्रमांक 4/13/2007 - M.IV दिनांक 11 जुलाई 2007 से APPROVAL जारी की गई थी, कृपा कर मुझे यह सूचना उपलब्ध कराई जाए कि उक्त खनन पट्टा संख्या M.L. 631/05 की APPROVAL आपने MMDR Act 1957 की धारा 11 (2) अथवा 11 (5) के तहत जारी की गई है ?

4. उस विभाग का नाम जिससे सूचना संबंधित है :- खान मंत्रालय, भारत सरकार
- 6 सूचना की प्रकृति एवं पूर्ण ब्योरा - उपरोक्तानुसार

ऐनेकजर :-

1. पोस्टल आर्डर नं. 17F 491448 मूल्य 10/- वास्ते आवेदन शुल्क

स्थान : भीलवाड़ा
दिनांक : 10.08.2013

No. 2/86/2013-PI
e-file

Pant
आवेदक के हस्ताक्षर मय पूरा पता
पंकज अग्रवाल पुत्र श्री एम.एल. अग्रवाल
प्रताप टॉकीज के सामने, भोपालगंज,
भीलवाड़ा (राज.)

Speed Post

GOVERNMENT OF INDIA
MINISTRY OF MINES

Dated the 3/9/2013

No. 9/1/2013-MIV

To
Shri Pankaj Aggarwal,
Opposite Pratap Tokage,
Bhopalganj, Bhilwara,
Rajasthan - 311001.

Sub: - Information sought under RTI Act, 2005.

Sir,

I am directed to refer to your RTI application dated 10.8.2013 on the subject cited above.

2. The State Government of Rajasthan had recommended the proposal for grant of mining lease over an area of 1570.36 hecets near village Dhedwas, Tehsil and District Bhilwara, in favour of M/s Jindal Saw Limited for a period of 30 years. In the said proposal the subject area was a notified area. As such, the proposal falls under Section 11 (2) read with 11 (3) of the MMDR Act, 1957.

3. If you are not satisfied with reply / information, you may prefer an appeal to Shri C.K. Rawat, Deputy Secretary and Appellate Authority, Ministry of Mines, Room No. 312 'D' Wing, Shastri Bhavan, New Delhi within 30 days of receipt of information.

Yours faithfully,

(Amit Choubey)

Section Officer and CPIO

Copy to:-

PI Cell, Ministry of Mines with reference their U.O. No. Mines/R/2013/00273
dated 13.08.2013